समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

2000 के नोट पर RBI का बड़ा अपडेट : अब भी है लीगल टेडंर, जानिए कितने नोट लौटे वापस।

Publisher Published on 03 Jun 2025

RBI के अनुसार 2000 रुपये के 98.26% नोट वापस आ चुके है, लेकिन 6,181 करोड़ रुपये के नोट अब भी सर्कुलेशन मे है। जानिए कहां और कैसे जमा कर सकते है बंचा हुआ नोट।

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैकं (RBI) ने **₹2000** के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। **आरबीआई** ने बताया है कि **₹2000** के नोट अभी भी **वैध मुद्रा (Legal Tender)** हैं। यानी इन्हें अभी भी लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, ये नोट अब नए रूप में जारी नहीं किए जा रहे हैं।

98.26% ₹2000 के नोट लौटे, अब भी 6,181 करोड़ प्रचलन मे

आरबीआई ने सोमवार, 2 जून 2025 को जारी अपने आंकड़ों में बताया कि **19 मई 2023** को ₹2000 के नोटों को प्रचलन से हटाने की घोषणा की गई थी। उस समय कुल ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे।31 मई 2025 तक ये घटकर ₹6,181 करोड़ रह गए हैं, यानी अब तक 98.26% ₹2000 के नोट वापस आ चुके हैं।

2000 के नोट कहां और कैसे जमा करे ?

7 अक्टूबर 2023 तक ₹2000 के नोट सभी बैंक शाखाओं में जमा/बदलने की सुविधा के तहत लिए जा रहे थे। लेकिन अब यह सुविधा केवल RBI के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।

लोग इन नोटों को **RBI कार्यालय** में जाकर सीधे अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं।

साथ ही, आप **भारतीय डाक (India Post)** के जरिए किसी भी **RBI कार्यालय** में नोट भेजकर अपने खाते में जमा करा सकते हैं।

2000 का नोट अब भी मान्य, लेकिन जारी नहीं हो रहा

RBI ने साफ किया है कि ₹2000 के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं। यानी अगर आपके पास यह नोट है तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन RBI अब इसे दोबारा प्रिंट या जारी नहीं कर रहा है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.